FORM No. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत ACJM-I मुकाम किशनगढ़

राज्य बनाम प्रकाशचन्द जैन

किस्म मुकदमा Cri. Reg नं. 759/24 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकास जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.05.26	अभियोजन अधिकारी मय परिवादी अधिवक्ता व परिवादी उपस्थित। अभियुक्त अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त प्रकाशचन्द जरिए वी.सी. उपस्थित, जिसका PIW प्राप्त हुआ। PIW पर अवधि आगामी पेशी वास्ते बढाई गई। अभियोजन द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में परिवादी द्वारा अपने स्तर पर माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है एवं परिवादी न्यायालय के समक्ष निवेदन करना चाहता है, जिस पर विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे। परिवादी अधिवक्ता द्वारा फर्द दस्तावेज (1) के साथ दिनांक 12.05.26 का कथित पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उसके द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनः प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है। अतः यद्यपि उनका गवाह उपस्थित है, उनके बयान लेखबद्ध नहीं करवाना चाहते। पत्रावली पर स्थगन चाहा। अभियुक्त अधिवक्ता की आपत्ति रही कि न्यायालय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लंबित प्रकरण के संबंध में जारी निर्देशों से बाध्य है, इसके बावजूद परिवादी को उसके प्रार्थनापत्र पर दिनांक 17.03.2026 से लगातार बावजूद अभियुक्त आपत्ति स्थगन P.T.O —	रघुवीरगगाँ मनीषा

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
किशनगढ़ जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकास जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया जा रहा है, जबकि न्यायालय के समक्ष किसी न्यायालय का स्थगन आदेश तक प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायहित में लगभग दो माह का समय दिया जा चुका है। अब स्थगन दिए जाने से अभियुक्त को "त्वरित निस्तारण" का मौलिक अधिकार से वंचित रखे जाने का स्पष्ट प्रभाव है। अतः पत्रावली पर साक्ष्य लेखबद्ध की जावे अथवा अवसर बंद किया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में न्यायालय द्वारा समय-2 पर प्रकरण में "पूर्व नियत तारीख पेशियां" लगाया जाकर त्वरित विचारण के प्रयास किए गए। दिनांक 20.02.25 को उभय पक्ष की सहमति से तारीख पेशियां नियत की गई, जिसका उद्देश्य भी रहा कि नियत पेशी पर वांछित गवाह के संबंध में कार्यवाही की पूर्व से जानकारी होने पर उक्त नियत पेशी को प्रभावी कार्यवाही हो सके। हालांकि दिनांक 17.03.25 को परिवादी ने माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित प्रार्थनापत्र के आधार पर स्थगन प्राप्त किया एवं तत्पश्चात् की पेशियों पर भी हिदायतों के साथ स्थगन दिए गए। इस प्रकार लगभग 2 माह से पत्रावली पर परिवादी को अवसर प्राप्त हुए है। न्यायालय की अब संतुष्टी है कि परिवादी को अभियुक्त के "त्वरित विचारण" के मूल अधिकार के प्रकाश में, अब तक दिया गया स्थगन समुचित है। गत पेशी पर भी स्पष्ट हिदायत दी गई थी कि ~~स्थगन विकल्प~~ स्थगन आदेश के प्रस्तुतीकरण नहीं होने पर

P.T.O.

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या 1, किशनगढ़ जिला अजमेर

AAP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत A-CJM-1 मुकाम किशनगढ़

राज्य बनाम प्रकाशचंद डोव

किस्म मुकदमा Cri. Reg. नं. 759/24 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकास जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लगातार-	साक्ष्य लेखबद्ध होगी, अथवा बंद की जावेगी। न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी लोहित प्रकरण के निर्देशों से बाध्य है। माननीय जिला न्यायाधीश का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय के समक्ष नहीं है, ना ही ऐसा कोई विधि प्रस्तुत है कि मात्र प्रार्थनापत्र प्रस्तुतीकरण के आधार पर प्रचलित प्रकरण को भी अनिश्चितकालीन समय तक के लिए स्थगित किया जा सके। अतः न्यायालय प्रकरण को स्थगित करना उचित नहीं पाती। न्यायालय द्वारा गवाह जगदीश व मनीषा के साक्ष्य वास्ते पत्रावली आज नियत थी, उक्त दोनों गवाहान में से मात्र मनीषा न्यायालय में उपस्थित समय 10:45 पर की गई है परन्तु परिवादी व गवाह उसे भी परीक्षित कराना नहीं चाहते। परिवादी व अभियोजन को अवसर दिए जा चुके हैं। अतः मनीषा व जगदीश के साक्ष्य बंद किए जाते हैं। अभियोजन अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि आगामी पेशी पर शेष गवाहान को इजलास समय प्रारंभ होने पर न्यायालय में 08:30 Am तक उपस्थित रखे। किसी प्रकार का अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 27.05.26 को पेश हो। 27.5.26 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, किशनगढ़ जिला अजमेर	